




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 488]

नई दिल्ली मंगलवार, नवम्बर 28, 1995/अग्राहायणा 7, 1917

No. 488]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 1995/AGRAHAYANA 7, 1917

जन-सुलभ परिवहन मंत्रालय

घनसूची

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1995

सा. का. नि. 763 (अ) :- केन्द्र सरकार महापत्तन व्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन व्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांड़ला पत्तन व्याम कर्मचारी (व्योहार अधिम) (संशोधन) नियम, 1995 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त नियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[सा. सं. पी. आर.—12016/22/95-पी. ई. 1]

सी. एम. खैरुल्लाह सयुक्त सचिव

महापत्तन व्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांड़ला पोर्ट व्यासी मंडल एतद्द्वारा कांड़ला पोर्ट कर्मचारी (व्योहार अधिम) विनियम, 1976 को संशोधित करने हेतु आगे निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, यथा

1. (1) ये विनियम कांड़ला पोर्ट कर्मचारी (व्योहार अधिम) (संशोधन) विनियम, 1995 कहे जाएंगे।

(2) ये इन विनियमों में संशोधित सरकारी अनुमोदन प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 विनियम 6 (1) में लिखित शब्द "रुपये एक हजार" को शब्द "रुपये एक हजार पांच सौ" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

पाद टिप्पण

सूच्य विनियम राज्य सरकार के राजपत्र के भाग 10 सी के पृष्ठ संख्या 402 पर दिनांक 7-4-1977 को प्रकाशित हुए तथा उनमें भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर निम्न संशोधन किए गये :-

(1) सा. का. नि. 165 (अ) दिनांक 10-1-1978

(2) सा. का. नि. संख्या 1,298 (अ) दिनांक 19-12-1986

(3) सा. का. नि. संख्या 70 (अ) दिनांक 7-2-1994

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1995

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Festival Advance) amendment Regulations, 1995 made by Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/22/95-PE.-I]
C.S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following Regulations further to amend the Kandla Port Employees (Festival Advance) Regulations, 1976 namely :—

1. (1) These Regulations shall be called the Kandla Port Employees (Festival Advance) Amendment Regulations, 1995.
- (2) These shall come into force from the date of publication of the Government's approval to these Regulations.
2. In Regulation 6(1) the words "One thousand rupees" shall be substituted by the words "One thousand five hundred rupees".

FOOT NOTE :

The principal Regulations were published in the State Gazette in Part 10-C at page 402 dated 07-04-1977 and subsequently amended in the Gazette of India vide :

- (i) GSR No. 165 dated 10-01-1978.
- (ii) GSR No. 1298(F) dt. 19-12-1986.
- (iii) GSR No. 70(E) dt. 07-02-1994.